

वन विभाग 30 प्र०

प्रभागीय केस सं०

क्रम सं०.....

परिधि (सर्किल)

खण्ड डिवीजन

वन अपराध - वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०.

साठवा० प्रभाग, बुलन्दशहर

अधिक्षेत्र (रेंज)

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान :- चौधु डिविजनल रिटेल सेल्स मैनेजर हिन्दुस्तान पेट्रोलिएम कार्पोरेशन लिमिटेड नोमडा

2. साक्षी का नाम :- श्री श्रीधर सिंह वरुण

3. कथित अपराध, अपराध का पूरा विवरण और दिनांक :- दिनांक 16/08/2022 को सुमत्र लगभग 10:40 बजे बुकह दिल्ही-कानपुर मार्ग NH91 के किमी 59 की जगह पत्थरी के बिनार गाम धालपुर के भूमि खस्ता सं०-165 में रिटेल आउटलेट हिन्दुस्तान आइल के निमवि में मार्ग पत्थरी की 0.049268 हे. भूमि में लक्षित लगाकर गण पक्का करना। सं०. 1689245 हे.

4. मूल्य :-

5. चालान ओर अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष :- विभागीय कार्यवाही,

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख :- महीदम, आज दिनांक 16/08/22 को सुमत्र लगभग

10:40 बजे बुकह पाया कि दिल्ही-कानपुर मार्ग किमी 59 में पत्थरी के बिनार गाम धालपुर के भूमि खस्ता सं०-165 में हिन्दुस्तान आइल रिटेल आउटलेट के निमवि में मार्ग पत्थरी में 0.049268 हे. लक्षित वन भूमि में कम्पनी द्वारा मार्ग निमवि लक्षित बिनाकर पक्का कर लिया है। जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।

अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट आलेख में सूचना पर एच आ. का हेतु सिद्ध है।


सेवा में,

प्रभागीय निवेशक, बुलन्दशहर

भपरीय  
10/8/2022  
(अशोक कुमार)  
वरुण

महीदम,

प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी सेवा में सा. का. हेतु प्रेषित है।

  
सहायक निवेशक  
साठवा रेंज (बुलन्दशहर)